भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 648

जिसका उत्तर 28.11.2024 को दिया जाना है

कोल्लम-थेनी राष्ट्रीय राजमार्ग का उन्नयन

648. श्री कोडिकुन्नील सुरेश:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री वह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संपर्क बढ़ाने और यातायात के प्रवाह में सुधार लाने के लिए कोल्लम-थेनी राष्ट्रीय राजमार्ग का उन्नयन करके इसे चार लेन का बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की अनुमानित लागत, इसमें शामिल कार्यक्षेत्र और चौड़ीकरण तथा अन्य सुधारों के लिए निर्धारित विशिष्ट खंडों सहित इस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है;

(ग) पूरा किए गए किन्हीं सर्वेक्षणों, प्राप्त की गई पर्यावरणीय स्वीकृतियों और संबंधित प्राधिकारियों से प्राप्त अनुमोदनों सहित परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) निविदाएं आमंत्रित करने और अनुबंध देने से लेकर निर्माण कार्य पूरा करने की प्रत्याशित तिथि तक परियोजना के प्रत्येक चरण के लिए अनुमानित समय-सीमा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने विकास प्रक्रिया के दौरान भूमि अधिग्रहण, पर्यावरणीय प्रभाव और सड़क सुरक्षा से संबंधित चिंताओं का समाधान करने के लिए निवासियों, व्यवसायों और स्थानीय प्राधिकारियों सहित स्थानीय हितधारकों के साथ बातचीत की है; और

(च) कोल्लम थेनी राष्ट्रीय राजमार्ग का चार लेन में उन्नयन करने से क्या लाभ होने का अनुमान है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (घ) जी नहीं। तथापि, पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन के न्यूनतम एनएच मानक में थेनी को जोड़ने के लिए एनएच 183 के कोल्ल्म-कुमिली खंड के दो लेन से कम के मौजूदा 56 किमी तथा 215.45 किमी में से 2 लेन के 92 किमी (कुल 148 किमी) का क्षमता संवर्धन के लिए डीपीआर परामर्शदाताओं को नियुक्त किया गया है। कोल्लम (किमी 0/0) से अंजिलिमूड्डु (किमी 62/100) के लिए संरेखण पहले ही स्वीकृत हो चुका है।

(ङ) जिला कलेक्टर, कोल्लम के कार्यालय में विभिन्न अवसरों पर सभी हितधारकों के साथ सार्वजनिक परामर्श बैठकें आयोजित की गई हैं।

(च) यातायात के सुचारू और तीव्र आवागमन के लिए सड़क की स्थिति और सुरक्षा में सुधार के लिए क्षमता वृद्धि और संरेखण की ज्यामितीय विशेषताओं में सुधार का प्रस्ताव किया गया है, जिससे सामाजिक-आर्थिक लाभ प्राप्त होगा।

*****